बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सं०सं०– प्र02 वि01–35/2015 5797 खाद्य/पटना/दिनांक 22/09/16

प्रेषक,

डॉ० दीपक प्रसाद,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना,

सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार

सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

विषयः– जिला उपभोक्ता फोरमों में पुरुष एवं महिला सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समादेश याचिका संख्या 5088/2015 एवं अन्य संलग्न याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 15.10.2015 को पारित आदेश के आलोक में जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्यों (पुरूष/महिला) की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 5111 दिनांक 19.08.2016 द्वारा बिहार उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016 अधिसूचित की गयी है। (प्रति संलग्न)

2. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश की कंडिका 47 (छायाप्रति संलग्न) में निम्नांकित हेतु आदेशित किया गया है "The Selection Committee, however, must publish the names of all the eligible candidates on the website of the State Commission, State Government and/or newspaper and give a month's time for filing of any complaint/objection enabling the Selection Committee to take into consideration those complaints/objections to the selection of any candidate applying for the post of Member in the District Forum before entering into exercise of making recommendation in terms of the Rules to be framed as directed above by this Court for the purpose of appointment on the post of Members in the District Consumer Forum."

3. जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्यों (पुरूष/महिला) की नियुक्ति प्रक्रिया में लगने वाली संभावित समय का उल्लेख समादेश याचिका संख्या (PIL)–4273/2016,

D:/Sec 2, 2016/Draft/213

अनिल कुमार सिंह बनाम् भारत संघ एवं अन्य में विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से माननीय पटना उच्च न्यायालय में किया गया है, जो निम्न है:-

क्र0 सं0	अपनायी जाने वाली प्रक्रिया	संभावित समय
01	विज्ञापन का प्रकाशन ।	30 दिन
02	जिला स्क्रीनिंग समिति द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की चयनित समेकित सूची तैयार करना तथा राज्य स्तरीय चयन समिति को भेजना।	30 दिन
03	जिला स्क्रीनिंग समिति से प्राप्त योग्य अभ्यर्थियों की समेकित सूची को राज्य आयोग के बेवसाईट/समाचार पत्रों पर आपत्ति/शिकायत प्राप्त करने हेतु अपलोड/प्रकाशित करना ।	30 दिन
04	बेवसाईट/समाचार पत्रों में अपलोड/प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त आपतियों का निराकरण कर अंतिम सूची का प्रकाशन ।	15 दिन
05	आपत्तियों के निराकरण के पश्चात विहित प्रक्रिया अपनाते हुए अभ्यर्थियों का चयन एवं राज्य सरकार को अनुशंसा भेजना।	30 दिन
06	राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसित अभ्यर्थियों का सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना एवं अनुमोदनोपरांत अधिसूचना निर्गत करना।	20 दिन
	कुल :-	**155 दिन**

4. विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञापन जिसके विरूद्ध नियुक्ति की अनुशंसा राज्य स्तरीय चयन समिति से विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, वैसे आवेदनों को रद्द समझा जाय। नया विज्ञापन विभाग के स्तर से निकाला जायेगा।

5. अनुरोध है कि महिला एवं पुरूष सदस्यों के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय अधिसूचना संख्या 5111 दिनांक 19.08.2016, कंडिका-02 में उल्लेखित माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा कंडिका-03 में वर्णित निर्धारित समय सीमा के आलोक में सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- प्र02 वि01-35/2015 5797 खाद्य/पटना, दिनांक 22/09/16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को पत्र की प्रति अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D/Sec 2. 2016/Draft/214

Govt. of Bihar
Food & Consumer Protection Department

(353)

Notification

No. P2B1-35/2015--5111-- Food/Patna/Dated 19.08.2016

In exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to make amendment in "The Bihar Consumer Protection Rule 1987. (as amended from time to time)".

1. Short title extent and commencement – (1) These Rules may be called "The Bihar Consumer Protection (Amendment) Rules 2016"

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as may be appointed by the state Government, by notification, in the Bihar Gazette.

2. The following new Sub Rule (1B) shall be added after sub rule (1A) of Rule-3 of the said Rule, 1987.

(1B) **Procedure for selection of Members-** (i) Save as otherwise provided in clause (ii) the process of appointment of a Member shall be initiated at least three months before the vacancy arises.

(ii) If a post falls vacant due to resignation or death of a Member or creation of new post, the process for filling the post shall be initiated immediately after the post has fallen vacant or is created, as the case may be.

(iii) An advertisement of vacancy inviting applications from eligible candidates may be published in leading newspapers in Bihar or by vacancy circulars or both, as may be decided by the State Government.

(iv) At District level there shall be a District Screening Committee consisting of the following, namely

District & Session Judge	-	Chairman
President, District Consumer Forum	-	Member
District Magistrate	-	Member

After receipt of applications against the published advertisement, the District Screening Committee shall send a list alongwith applications of all the eligible candidates who fulfill the qualifications for the post of members to the Selection Committee constituted under sub section (1-A) of section 10 of The Conusmer Protection Act 1986 .

(v) The Selection Committee shall consider all the applications of eligible applicants referred to it.

(vi) The Selection Committee shall, subject to the provisions of clause (vii), assess the suitability of the candidates for the post of Member.

D:f Sec 2. 2016/ Niyimavali eng

Provided that the Selection Committee may, if it considers necessary, depending on the number of candidates, short list them on the basis of comparative merit and experience of such candidates for selection.

(vii) The Selection Committee shall asses the suitability of the candidates and where short listing is done, from among the short-listed candidates, for the post of Member in the following manner, namely:-

(a) In the case of candidates having judicial background, by assessing them on the basis of the judgments and other judicial orders passed by such candidates;

(b) In the case of candidates having experience of working under the Central Government or any State Government or an undertaking under the Central Government or a State Government, by assessing such candidates on the basis of their Annual Confidential Reports and their experience relevant to the post applied for;

(c) In other cases, the suitability of the short listed candidates shall be assessed by the Selection Committee on the basis of personal interview conducted by it:

Provided that notwithstanding anything contained in this sub-rule, the Selection Committee may, for assessing the suitability of candidates of a class or category, if it considers necessary, call such class or category of candidates for interview for assessing their suitability for the post of Member.

(viii). The selection committee may, on the basis of its assessment made by it, recommend a panel of names of candidates for appointment as Members from amongst the applicants referred to in clause (v) in order of merit for the consideration of the State Government.

(ix). The State Government shall, verify or cause to be verified the credentials and antecedents of the candidates selected by the State Government from the panel recommended by the Selection Committee and satisfy the suitability of such candidates for appointment as Members.

(x). Every appointment of a member shall be subject to the submission of a certificate of physical fitness in the prescribed format, signed by a Civil Surgeon or District Medical Officer, to the President, District Consumer Forum.

3. Any circular or order made by the State Government earlier repugnant to this amendment shall be deemed repealed.

By order of Governor of Bihar,

(Dr. Deepak Prasad)
Principal Secretary.
19/8

Memo No.- Sec 02 B1-35/15 5111 Food/Patna/Dated 19.08.2016

Copy Forwarded to- Governor Secretariat, Bihar, Patna/ Chief Minister Secretariat/Private Secretary to Hon'ble Minister, Food & Consumer Protection Department, Bihar, Patna/Chief Secretary, Bihar/ Development Commissioner, Bihar/All Principal Secretary/Secretary/All Divisional Commissioner/All District Magistrate/Director, Information and Public Relation Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Principal Secretary

Memo No.- Sec 02 B1-35/15 5111 Food/Patna/Dated 19/8 19.08.201

Copy Forwarded to- Registrar, State Commission, Consumer Protection, Bihar, Patna/ All President, District Consumer Fora for information and necessary action.

Principal Secretary

Memo No.- Sec 02 B1-35/15 5111 Food/Patna/Dated 19/8 19.08.2016

Copy Forwarded to- Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Governemnt of India, Krishi Bhawan, New Delhi/Registrar, National Consumer Desputes Redressal Commission, New Delhi for information.

Principal Secretary

Memo No.- Sec 02 B1-35/15 5111 Food/Patna/Dated 19/8 19.8.2016

Copy Forwarded to- Joint Secretary, E-Gudget Cell, Finance Department, Bihar, Patna with English version of subject in MS Word and two hardcopies for information and immediate publication in special edition of Bihar Gudget.

Enclosure- As mentioned above.

Principal Secretary

Memo No.- Sec 02 B1-35/15 5111 Food/Patna/Dated 19/8 19.08.2016

Copy Forwarded to- IT Manager, Food & Consumer Protection Department, Bihar, Patna for E-mail and to upload the notification on Departmental website.

Principal Secretary 19/8

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1356

अधिसूचना

सं0–प्र02वि01–35/2015.....5111.....   पटना, दिनांक 19.08.2016

खाद्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 30 की उप–धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (1) यह नियमावली बिहार उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत होगी जो राज्य सरकार द्वारा बिहार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत की जाय।

2. उक्त नियमावली, 1987 के नियम–3 के उपनियम–(1क) के बाद निम्नलिखित उप नियम (1ख) जोड़ा जायेगा :–

(1ख) सदस्यों के चयन हेतु प्रक्रिया:– (i) खण्ड (ii) में यथाउपबंधित के सिवाय, किसी सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया, रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम तीन माह पूर्व प्रारंभ की जाएगी।

(ii) यदि पद किसी सदस्य के इस्तीफा देने, सेवानिवृति या मृत्यु या नये पद के सृजन के कारण रिक्त होता है तो पद को भरने की प्रक्रिया, यथास्थिति, पद रिक्त होने या सृजित होने के तुरंत पश्चात आरंभ की जायेगी।

(iii) पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए किसी रिक्ति के लिए विज्ञापन बिहार के प्रमुख समाचारपत्रों में या रिक्ति–परिपत्र या दोनों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाय, प्रकाशित किया जा सकेगा।

(iv) जिला स्तर पर निम्न लिखित को मिलाकर एक जिला स्क्रीनिंग समिति होगी :–

जिला एवं सत्र न्यायाधीश	–	अध्यक्ष
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम	–	सदस्य
जिला पदाधिकारी	–	सदस्य

जिला स्क्रीनिंग समिति प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त सभी आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन, जो वांछित योग्यता धारित करते हो, की एक सूची, उनके आवेदन पत्रों सहित, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा–10 की उपधारा (1क) के अधीन गठित चयन समिति को भेजेगी।

(v) चयन समिति निर्दिष्ट पात्र आवेदकों के सभी आवेदनों पर विचार करेगी।

(vi) चयन समिति, खंड (vii) में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन रहते हुए सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी :

D:Niyamawali 2016 Hindi

(305)

परंतु चयन समिति, यदि अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए आवश्यक समझें, चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा और अनुभव के आधार पर, उनको छंटनी कर सकेगी।

(vii) चयन समिति सदस्य पद के लिए छंटनी किये गये अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति से करेगी, यथा :-

(क) न्यायिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों के मामलों में, उनके द्वारा दिए गए न्याय निर्णय या न्यायिक आदेशों के आधार पर मूल्यांकन द्वारा :

(ख) वैसे अभ्यर्थी का मूल्यांकन, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम में कार्य करने का अनुभव रखते हैं, उनकी वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति एवं पद के निमित्त अनुभवों के आधार पर, करेगी।

(ग) अन्य मामलों में छंटनी किये गये अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा आयोजित व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा :-

परन्तु इस उप नियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, किसी वर्ग या कोटि के अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए, चयन समिति, यदि आवश्यक समझे, वैसे वर्ग या कोटि के अभ्यर्थियों को सदस्य-पद के उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकेगी।

(viii) चयन समिति अपने द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर खण्ड (v) में निर्दिष्ट आवेदकों में से सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम मेधा के आधार पर एक पैनल, राज्य सरकार के विचारार्थ अनुशंसित कर सकेगी।

(ix) चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से राज्य सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता एवं पूर्ववृत्त को राज्य सरकार सत्यापित कर सकेगी या सत्यापित करवा सकेगी एवं सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का समाधान कर सकेगी।

(x) किसी भी सदस्य की नियुक्ति, असैनिक शैल्य चिकित्सक या जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में हस्ताक्षरित स्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर जो अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को समर्पित की जायेगी, होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत कोई आदेश या परिपत्र जो इस संशोधन नियमावली के विरूद्ध हो उसे निरसित समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ० दीपक प्रसाद)

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः- प्र02 वि0 1-35/2015 5111 /खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.2016

प्रतिलिपिः- राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

19/8

(354)

ज्ञापांकः– प्र02 वि0 1–35/2015 5111 /खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.2016

प्रतिलिपिः– निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार/अध्यक्ष, ~~सभी~~ ~~जिला~~ उपभोक्ता फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– प्र02 वि0 1–35/2015 5111 /खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.20

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– प्र02 वि0 1–35/2015 5111 /खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.2

प्रतिलिपिः– सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/ निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– प्र02 वि0 1–35/2015 5111 /खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.2

प्रतिलिपिः– ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ अंग्रेजी अनुवाद MS.Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0– सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– प्र02 वि0 1–35/2015 5111 /खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ईमेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:Niyamavali 2016 Hindi